न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 33 / 2021 अपील (GCMS 2021/39)
पंजीयन दिनांक – 02 / 03 / 2021
निर्णय दिनांक – 30 / 03 / 2026

श्री फाईन फ्लोरोकेम भागीदारी फर्म जरिये भागीदार मोतीसिंह पोरवाल पिता रणजीतलाल पोरवाल, निवासी सहेली नगर, उदयपुर

– अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12 / 3(33)राज. / 97 / 389 दिनांक 18.02.2021

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12 / 3(33)राज. / 97 / 389 दिनांक 18.02.2021 (औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1997 निरस्त) के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 4904 रकबा 0.4600 हैक्टयर भूमि जिला कलक्टर, उदयपुर ने कृषि से अकृषि में रूपान्तरण करते हुए सोडियम फ्लोराइड कापर पाउडर उद्योग स्थापित करने हेतु अपीलांट को 99 वर्ष की लीज पर दिनांक 24.06.1997 को आवंटित की।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आंवटित भूमि का उपयोग नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि में उद्योग हेतु नहीं करने से महालेखाकार जांच दल आक्षेप किये जाने से जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही उपरान्त दिनांक 13.01.2016 को आवंटन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी ने पहले तो दिनांक 18.07.2018 को अपील निरस्त कर दी तत्पश्चात रिव्यू प्रार्थना स्वीकार करते हुए दिनांक 03.10.2018 जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रकरण प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि अपीलांट द्वारा पेश शुदा दस्तावेज के बरूए उसे सुनवाई का पुनः अवसर देकर तथा उसकी उपस्थिति में पुनः मौके की जांच करवाई जाकर साक्ष्य सबुतों के आधार पर अजसरेनो निर्णय पारित करें। जिला कलक्टर ने रिमाण्ड आदेश की पालना में पुनः सुनवाई कर दिनांक 18.02.2021 औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुने आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। रिमाण्ड आदेश के अनुसार उद्योग दो वर्ष की अवधि में लगाया नहीं, इसकी जांच करनी थी परन्तु इस बिन्दु के विपरीत जाकर जो आदेश दिया है वह काबिल निरस्त के है। अपीलांट द्वारा एक वर्ष के भीतर ही फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन चालू कर दिया था जिसका निरीक्षण डीआईसी द्वारा किया जाकर परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट जारी करके दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दो वर्ष के अन्दर उद्योग स्थापित करना तो माना है परन्तु यह मानने में भूल की है कि इकाई

में जिस प्रोडक्ट का उत्पादन करना था उसका उत्पादन नहीं कर फास्फेट जिप्सम का उत्पादन बताकर आवंटन निरस्त कर दिया। भूमि उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी और उद्योग प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जा रहा है। फास्फेट जिप्सम बाई प्रोडक्ट है। नियम 8 को समझने में भूल की है। रिमाण्ड आदेश की पालना के बिन्दु से हटकर नये आधार पर जारी आदेश नियम विपरीत है। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय वकील का कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। जिस प्रयोजन प्रोडक्ट के लिए भूमि आवंटित की गई थी उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करना था यदि प्रोडक्ट बदलना था तो स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये थी। आवंटन शर्त की पालना नहीं करने से जिला कलक्टर का आदेश नियमानुसार है जिससे अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर, उदयपुर के औद्योगिक प्रयोजनार्थ किए गए आदेश दिनांक 24.06.1997 की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण आवंटन निरस्तगी आदेश दिनांक 18.02.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण एवं मौका रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री फाईन फ्लोरोकेम फर्म के संदर्भ में 1998 के पश्चात इकाई के नियमित चलने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना, निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.03.2019 में जिला उद्योग अधिकारी व तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दर्शाया गया है। 2014 में तहसीलदार द्वारा संप्रेषित रिपोर्ट में भी उद्योग बन्द था। मूलतः सोडियम सिलको फ्लोराइड पाउडर, कॉपर पाउडर उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटन किया जाना आवंटन आदेश से स्पष्ट है। मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2019 में उद्योग का

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

1998 के पश्चात नियमित नहीं चलना, 17.07.2014 की रिपोर्ट अनुसार बन्द पाया जाना तथा 2019 में फास्फेट जिप्सम उत्पादन करना दर्शाया है।

उल्लेखनीय है कि जिस प्रयोजन से उद्योग स्थापना हेतु आवंटन किया गया था, उक्त शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है। अपीलार्थी का फास्फेट जिप्सम के मूल औद्योगिक उत्पादित पदार्थ का बाई प्रोडक्ट होने का कथन त्रुटिपूर्ण होकर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सर्वथा अमान्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 18.02.2021 में किसी प्रकार की विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाए जाने से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है।

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर